

21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की जानकारी

ज्युबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर, 2016 को प्रातः 11:00 बजे, इन्टरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर, एक्सपो ड्राइव, ए-11, सेक्टर-62, नोएडा-201301, उ.प्र. में बैठक की सूचना में वर्णित व्यवसायों के लिए आयोजित की जाएगी।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 और वार्षिक आम सभा की बैठक की सूचना का इलेक्ट्रानिक प्रेषण जिन सदस्यों का ई-मेल पता कम्पनी/निक्षेपागार सहभागी में पंजीकृत है और बाकी सदस्यों को भौतिक वितरण के स्वीकार्य मोड से भेजने का कार्य सोमवार, 1 अगस्त, 2016 को पूरा कर लिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com एवं CDSL की वेबसाइट www.cdsindia.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनियों के मामले में अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन लागू नियम एवं सेबी के विनियम 2015 ("सूचीबद्ध समझौता") के नियमन 44 के अनुपालन में कम्पनी की बैठक की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर वोट करने के लिए सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (ई-वोटिंग) की सुविधा प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग के बारे में विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लेख करने का अनुरोध किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के किसी भी प्रश्न के संबंध में www.evotingindia.com पर उपलब्ध सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) सेक्षण देखें या CDSL के श्री राकेश डाल्वी, उप प्रबंधक से फोन नं. 1800 200 5533 या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ई-मेल द्वारा या पता-16वां तल, फिरोज जीजाबाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001 पर संपर्क करें।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

- (1) ई-वोटिंग सोमवार, 29 अगस्त, 2016 (प्रातः 9:00 बजे भा.मा.स.) को शुरू होगी तथा बुधवार, 31 अगस्त, 2016 (सायं 5:00 बजे भा.मा.स.) बंद होगी। रिमोट ई-वोटिंग दी गई तारीख, समय के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
- (2) वे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि जो कि बृहस्पतिवार, 25 अगस्त 2016 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरी(ओं) द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित होगा वे रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा अथवा एजीएम में मत-पत्र द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होंगे।
- (3) सदस्य जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं किया हो, भौतिक मत-पत्र द्वारा बैठक में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- (4) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मत प्रयोग कर लिया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- (5) यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात् करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2016 को अंशधारक होता है तो वह अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड delhi@linkintime.co.in पर ई-मेल द्वारा अनुरोध कर प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले से सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं।

अधिनियम की धारा 91 तथा उसके अधीन लागू नियम और अधिनियम 42 के सूचीबद्धता समझौते के अधिनियम में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तकें, शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 से बृहस्पतिवार, 01 सितम्बर, 2016 तक (दोनों दिन शामिल) शेयरधारकों जिन्हें FY16 में लाभांश को प्राप्त करने के हकदार होंगे, उनके नामों के निर्धारण हेतु बंद रहेगी।

कृते ज्युबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

हस्ता / —

मोना अग्रवाल

कम्पनी सचिव